लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा : भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha: Bhubaneswar

परिपत्र / Circular

विषय/ Subject: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले **अभिमुखी कार्यक्रम, गहन हिंदी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** में अधिकारियों को नामांकित करने के संबंध में।

Nomination of officers in **Orientation Programme, Intensive Hindi Workshops and Training Programme for faculties** to be organized by the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India-regarding.

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 188/रा.आ.अ. /05-2022 दिनांक 05.04.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) जो स्वत: व्याख्यात्मक है, के द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले **अभिमुखी कार्यक्रम, गहन हिंदी कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** में प्रतिभागिता हेतु इस कार्यालय के पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।

अत: इच्छुक अधिकारीगण उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 19.04.2024 या उससे पूर्व विधिवत रूप से भरा हुआ संलग्न निर्धारित पंजीकरण फॉर्म, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (हिंप्रसं) को अग्रेषित करने के लिए ***राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-I)*** को प्रेषित करें।

अग्रेतर इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सहित इस परिपत्र का अवलोकन करें।

On the subject cited above, kindly find herewith enclosed copy of Headquarters' letter No. 188/OLA/05-2022 dated 05.04.2024 which is self-explanatory, wherein nomination has been called for participation in **Orientation Programme, Intensive Hindi Workshops and Training Programme for faculties** to be organized by the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India from the eligible Officers/Officials of this office.

Hence, willing officers may send their duly filled prescribed enclosed registration form to ***Rajbhasha Section (Audit-I)*** on or before 19.04.2024 for onward transmission to Central Hindi Training Institute (CHTI) for admission in the above mentioned training programmes.

Further, officers may visit the website of this office (under Function-> Administration -> Circular and Orders Menu) for detailed information regarding OM's of Ministry of Home Affairs (MoH) in this regard.

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

ज्ञापन संख्या/ Memo No.हिंदी प्रकोष्ठ/38/ मुख्यालय संबंधी पत्र/06 दिनांक/ Date: **15.04.2024**

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित
Copy forwarded for information and necessary action.

1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. IV/ ए.एम.जी. V/ PA to Sr. DAG, Admn / AMG IV/ AMG V
3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I / PA to DAG, AMG I
4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ PA to DAG, AMG II
5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ PA to DAG, AMG III
6- कल्याण अधिकरी/ Welfare Officer.
7- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -
सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।
All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

ए.एम.जी.- I / AMG-I	ए.एम.जी.- II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.- V AMG-V	ओ.एम. I एवं II OM-I & OM-II
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	

8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया अनुलग्नक सहित इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along with [illegible] enclosures to [illegible] official [illegible].

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

❖ **विषय**: संघ सरकार के समस्त मंत्रालय / विभाग / सरकारी उपक्रम / बैंक / निगम / निकाय / लोक उद्यम / संगठन आदि के प्रबन्धक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम के आयोजन, वर्ष-2024, से संबंधित।

❖ उपर्युक्त विषय पर **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा जारी पत्र संख्या ***19011/28/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग. प्रशि / 501-900 दिनांक 16.02.2024*** का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।

❖ **<u>05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी</u>**

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधिकारी की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्यतन जानकारी देना, राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना। राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना।	03.06.2024 07.06.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/ सहा.प्रबंधक (रा.भा.) / वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक / उपक्रम / निगम / निकाय/बीमा कंपनी / लोक-उद्यम आदि

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी तर की कोई कठिनाई न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी आएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।
- प्रशिक्षण केंद्र का पता- अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने / राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष

- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक ।। देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस स्टानिकटतन मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

गिरिराज
12/4

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

❖ **विषय**: संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकिरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में।

❖ उपर्युक्त विषय पर **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा जारी पत्र संख्या ***19011/27/2024-केहिप्रसं/अल्प, ग. प्रशि/88-500 दिनांक 16.02.2024*** का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-> प्रशासन -> परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।

❖ **गहन हिंदी कार्यशाला कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी**

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	गहन हिंदी कार्यशाला	क) विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सरकारी कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना ख) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने की झिझक को दूर करना ग) कार्यालयीन कार्य में दक्षता (लेखन-	05 (पाँच) पूर्ण कार्य दिवस	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ निगमों/ उद्यमों/ अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारी/कर्मचारी

		कौशल) प्रदान करना घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/सॉफ़्ट वेयरों की जानकारी प्रदान करना		

पात्रता:

❖ राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। (कार्यसाधक का ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषा टिप्पणी 1 व 2 में दी गई है।)

❖ जिन हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध/प्रवीण/प्राज पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के बाद कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।

❖ प्रवेश की पुष्टि प्रदान करते समय, उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

<u>टिप्पणी-1- कार्यसाधक ज्ञान:</u> यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

❖ मेट्रिक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या

❖ केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वांछित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

❖ केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है; या

❖ राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

[illegible] कर्मचारी ने

- मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- स्नातक परीक्षा अथवा उसकी समतुल्य अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है; या
- राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने प्रवीणता प्राप्त कर ली है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

<u>नामांकन की प्रक्रियाः</u>

- उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक III में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं; ताकि प्रगामी पत्राचार में कोई असुविधा न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथा समय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का विनिर्धारित कार्य समय सुबह 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक है।

<u>प्रशिक्षण केंद्र का पताः</u>

- अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने / राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

<u>विशेष सूचनाः</u>

- गहन हिंदी कार्यशालाओं का वार्षिक कैलेंडर अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

❖ प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-II देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

❖ **विषय**: वर्ष 2024 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

❖ उपर्युक्त विषय पर **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार** द्वारा जारी पत्र संख्या ***19011/29/2024/केहिप्रसं/अल्प.ग. प्रशि./901-1300 दिनांक 16.02.2024*** का कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट (कार्य-**>** प्रशासन **->** परिपत्र एवं आदेश मेन्यू के अंतर्गत) पर इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हेतु अवलोकन करें।

❖ **<u>प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी</u>**

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधिकारी की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है।
1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना। उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक	16.12.2024 से 20.12.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऐसे संकाय सदस्य [Faculty members], जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं परंतु जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही हो।	भारत सरकार के विभिन्न संस्थान, प्रशिक्षण मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि।

		सशक्त बनाना ।			

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- ❖ उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी तर की कोई कठिनाई न हो।
- ❖ नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी आएगी।
- ❖ इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- ❖ कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है।

विशेष

- ❖ इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/ दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- ❖ कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- ❖ प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- ❖ प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस स्टानिकटतन मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

12/4/

हिंदी अधिकारी
Hindi Officer

पत्र सं : 188 /रा.भा.अ. /05-2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 05.04.2024

सेवा में,

1. **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**
2. **महानिदेशक (मुख्यालय)**

विषय : 1. संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/ विभाग/ सरकारी उपक्रम/ बैंक/ निगम/ निकाय/ लोक उद्यम/ संगठन आदि के प्रबन्धक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2024

2. संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकिरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष -2024 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में।

3. वर्ष -2024 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में पॉच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय ज्ञापन संख्या सं. 19011/28/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि/501-900, सं. 19011/27/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि/88-500 तथा सं. 19011/29/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि/901-1300; दिनांक: 16.02.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) को भेजते हुए मुख्यालय एवं अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि इस पर तदनुसार कार्रवाई करें।

यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल 05.04.2024

(अनिल कुमार पिलानी)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)

सं.19011/28/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./501-900

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
दूरभाष: 011-23793521
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 16/02/2024

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम /संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी अधिकारियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2024

महोदय/महोदया,

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में राजभाषा अधिकारी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के हिंदी अधिकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभिमुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब तक कुल 65 (पैंसठ) अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

यह देखा गया है कि उक्त कार्यक्रम के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक, व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से इसमें शामिल नहीं होते, अभी भी ऐसे अधिकारियों की सख्या काफी अधिक है जिन्हें किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2024 में भी एक अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत राजभाषा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
1.	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्यतन जानकारी देना। राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना। राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना।	03.06.2024 से 07.06.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/ सहा.प्रबंधक(रा.भा.)/वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/ उपक्रम/ निगम/ निकाय/बीमा कंपनी/ लोक-उद्यम आदि ।

2261168

प्र० व निर्गम अनुभाग R&I Section 21 MAR 2024

2-ए, पृथवीराज रोड़, नई दिल्ली-110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 फैक्स/Fax : 011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

(८)

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- कार्यक्रम का समय सुबह **9.30** बजे से सायं **6.00** बजे तक निर्धारित है।

प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने/ राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

➢ **प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक- II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।**

भवदीय,

राम नरेश शर्मा

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)

निदेशक

पृष्ठांकन सं.19011/28/2024-केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./501-900 दिनांक: 16/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. उ. नि. (हिं टं व हिं आ) एवं कार्यालयाध्यक्ष केंहिंप्रसं।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
11. सहायक निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।

भवदीय,

राम नरेश शर्मा

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)

निदेशक

अनुलग्नक -I

(89)

नामांकन प्रपत्र

ाधिकारी का ाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं,कार्यालय/ मोबा. नंबर	ई मेल आई डी (कैपिटल अक्षरों में)

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर : ....

नाम एवं पदनाम : ....

कार्यालय का संपूर्ण पता : ....

....

....

दूरभाष सं. : ....

ई-मेल आई डी : ....

अनुलग्नक - II

संपर्क सूत्र

1.	2.	3.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	सलाहकार (उप निदेशक), अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1153@nic.in	सहायक निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1232@nic.in chti1282-dol@nic.in

सं.19011/27/2024-केहिप्रसं/अल्प. ग. प्रशि./188-500

दूरभाष: 011-23793521

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

87

दिनांक: 16/02/2024

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी एवं सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा से संबद्ध सभी अधिकारी

विषय: संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वर्ष-2024 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में उपरोक्त सभी कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित किया जा सकता है।

वर्ष- 2024 के दौरान आयोजित की जानेवाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय में सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संपूर्ण वर्ष के लिए इन कार्यशालाओं में नामित कर सकें।

प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	गहन हिंदी कार्यशाला	क) विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सरकारी कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना ख) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने की झिझक को दूर करना ग) कार्यालयीन कार्य में दक्षता (लेखन-कौशल) प्रदान करना घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/सॉफ़्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना	05 (पाँच) पूर्ण कार्य दिवस	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ निगमों/ उद्यमों/ अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारी/ कर्मचारी

...2..

(86)

पात्रता:

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। (कार्यस क ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषा टिप्पणी 1 व 2 में दी गई है।)
- जिन हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के बाद कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।
- प्रवेश की पुष्टि प्रदान करते समय, उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

टिप्पणी-1- कार्यसाधक ज्ञान: यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- मेट्रिक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या
- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वांछित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है; या
- राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

टिप्पणी-2- प्रवीणता: यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- स्नातक परीक्षा अथवा उसकी समतुल्य अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है; या
- राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ने प्रवीणता प्राप्त कर ली है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नामांकन की प्रक्रिया:

- उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक -III में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं; ताकि प्रगामी पत्राचार में कोई असुविधा न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथा समय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का विनिर्धारित कार्य समय सुबह 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक है।

प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने/ राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष सूचना:

- गहन हिंदी कार्यशालाओं का वार्षिक कैलेंडर अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/निगमों/उद्यमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं को यह पत्र परिचालित करवाने की व्यवस्था करवाएं।

....3..

- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-II देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

भवदीय,

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन सं.- 19011/27/2024-केहिप्रसं/अल्प. ग. प्रशि./188-500 दिनांक: 16/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
4. उ. नि. (हिं टं व हिं आ) एवं कार्यालयाध्यक्ष केंहिंप्रसं।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
6. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
8. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु ।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ ।
11. सहायक निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।

भवदीय,

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

(5)

अनुलग्नक – I

प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर – वर्ष- 2024
गहन हिंदी कार्यशालाएँ
(पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)

क्र. सं.	कार्यशाला क्रमांक	प्रशिक्षण की अवधि
1.	549	08.07.2024 से 12.07.2024 तक
2.	550	05.08.2024 से 09.08.2024 तक
3.	551	18.11.2024 से 22.11.2024 तक

....5..

83

अनुलग्नक – II

प्रशिक्षण संबंधी संपर्क-सूत्र

1.	2.	3.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	सलाहकार (उप निदेशक), अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1153@nic.in	सहायक निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1232@nic.in chti1282-dol@nic.in

प्रशिक्षण केंद्र/ हॉस्टल का नाम, पता एवं उसके बस रूट तथा निकटतम मेट्रो स्टेशन संबंधी विवरण

<table>
<tr><td colspan="2">प्रशिक्षण केंद्र का नाम व पता:
अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष: - 011- 23793521
बस रूट: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग तक- 181, 450
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पृथ्वीराज रोड तक – 502
अ. रा. बस अड्डा से पृथ्वीराज रोड तक – 501, 503, 533 &621
आनंद विहार बस अड्डे से पृथ्वीराज रोड तक – 624
निकटतम रेलवे स्टेशन : - खान मार्किट</td></tr>
<tr><td>हॉस्टल-1 का पता एवं बस रूट</td><td>हॉस्टल-2 का पता एवं बस रूट</td></tr>
<tr><td>छात्रावास वार्डन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ़्लैट नं. 2, तीसरा तल, सरकारी हॉस्टल, खालसा ईवनिंग कॉलेज के सामने, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दूरभाष:- 011-28716509
बस रूट : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालसा कॉलेज- 181; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिबर्टी सिनेमा – 926; हॉस्टल से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड/पृथ्वीराज रोड तक – 450, 181 निकटतम मेट्रो स्टेशन- करोल बाग</td><td>छात्रावास वार्डन/ केयर टेकर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, फ़्लैट नं. 876 से 890 तक, पुष्प विहार, सेक्टर-7, शनि मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110017.
दूरभाष: 011-29562873, 24361734
बस रूट : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आर. के. आश्रम से – 521,522; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से – 419-
निकटतम बस स्टॉप – लोदी गार्डन
निकटतम मेट्रो स्टेशन- चिराग दिल्ली</td></tr>
</table>

....6..

सं.19011/29/2024-केहिप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./901-1300

82

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दूरभाष: 011-23793521

दिनांक: 16/02/2024

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- वर्ष-2024 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षक (Faculty Members) अपने संस्थानों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, इसी उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इन प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब तक इस संस्थान द्वारा **45** (पैंतालीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थानों/कार्यालयों के प्रशिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	भारत सरकार के प्रशि.संस्थान/ कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना। उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाना।	16.12.2024 से 20.12.2024 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऐसे संकाय सदस्य [Faculty members], जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं परंतु जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही हो।	भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्यम, संगठन आदि।

...2..

(81)

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार एवं प्रशिक्षण संचालन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथासमय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

➢ **प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक- II देखें जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से सम्बद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।**

भवदीय,

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन सं.-19011/29/2024-केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./1901-1300 **दिनांक:** 16/02/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. उ. नि. (हिं टं व हिं आ) एवं कार्यालयाध्यक्ष केंहिंप्रसं।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
11. सहायक निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।

भवदीय,

(ले. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक

अनुलग्नक-I

नामांकन प्रपत्र

प्रशिक्षक का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/ मोबा. व्हाट्सएप नंबर	ई मेल आई डी (कैपिटल अक्षरों में)

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर : ....
नाम एवं पदनाम : ....
कार्यालय का संपूर्ण पता : ....
....
....
दूरभाष सं. : ....
ई-मेल आई डी : ....

(H)

अनुलग्नक- II

अधिकारियों का संपर्क विवरण

1.	2.	3.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 दूरभाष: - 011- 24361852 ई-मेल: dirchti-dol@nic.in	सलाहकार (उप निदेशक), अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1153@nic.in	सहायक निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: - 011- 23793521 ई-मेल: chti1232@nic.in chti1282-dol@nic.in